

प्रेषक,

फूल चन्द्र कुशवाहा,
अपर सत्र न्यायाधीश,
(त्वरित न्यायालय) कोर्ट सं०-1,
महाराजगंज

सेवा में,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा-

श्रीमान् जनपद न्यायाधीश,
महाराजगंज।

विषय: सम्पत्ति विवरण के सम्बन्ध में वांछित आपत्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मेरे द्वारा वित्तीय वर्ष-2020-21 व 2021-22 का ही सम्पत्ति विवरण दाखिल किया गया है। त्रुटिवश वर्ष-2021-22 व 2022-23 का विकल्प आनलॉइन आवेदन करते समय चयनित हो गया है।


विलम्ब से सम्पत्ति विवरण दाखिल करने के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी की मां के गिर जाने के कारण उनके कूलहे की मुख्य हड्डी अक्टूबर-2022 में टूट गयी थी जिसके सम्बन्ध में उन्हें के०जी०एम०यू० लखनऊ में लगभग 20 दिन भर्ती कर ईलाज कराया गया। चूंकि उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी इस कारण बड़ी सर्जरी होने के कारण उन्हें अनेको प्रकार की अन्य समस्याएं भी आ गयी थी। देखभाल के दौरान दुर्भाग्यवश उनका निधन 25 दिसम्बर, 2022 को हो गया। प्रार्थी काफी परेशान था। इसी दौरान अप्रैल-2023 में प्रार्थी का स्थानान्तरण जनपद लखनऊ से जनपद महाराजगंज कर दिया गया। इस कारण प्रार्थी काफी परेशान रहा एवं आवश्यक कार्यवश उसे लखनऊ, रायबरेली आदि जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त उपरोक्त वित्तीय वर्षों में सम्पत्ति विवरण में कुछ भी नया जोड़ने हेतु नहीं था। पूर्व में दाखिल किया गया ही सम्पत्ति विवरण उपरोक्त वित्तीय वर्षों के लिए भी था।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण ही वित्तीय वर्ष-2020-21 व 2021-22 का सम्पत्ति विवरण दाखिल करने में कुछ विलम्ब हुआ है। जानबूझकर किसी प्रकार का कोई विलम्ब नहीं किया गया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि दाखिल सम्पत्ति विवरण को वित्तीय वर्ष-2020-21 व 2021-22 का मानते हुए विलम्ब को क्षमा करने की कृपा करें।

दिनांक-28.08.2024

भवदीय,


28.08.2024

(फूल चन्द्र कुशवाहा)
आई०डी०नं०यू०पी०2712
अपर सत्र न्यायाधीश
(त्वरित न्यायालय), कोर्ट सं०-1,
महाराजगंज।